न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 117 / 2016 अपील (RCMS/2016/00039)
पंजीयन दिनांक — 29.11.2016
निर्णय दिनांक — 27.05.2019

1. श्री रामचन्द्र पिता श्री घमण्डीराम जाट, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री लोभचन्द पिता श्री हजारीलाल जाट, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री बाबूलाल पिता श्री हजारीलाल जाट, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती कमला पुत्री श्री हजारीलाल जाट पत्नि प्रकाशचन्द्र जाट, निवासी जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती गीता पुत्री श्री हजारीलाल जाट पत्नि रामेश्वरलाल जाट, निवासी फलासिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्रीमती प्रेम पुत्री श्री हजारी पत्नि श्री रामनिवास जाट, निवासी फलासिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्रीमती सुखी पुत्री श्री हजारी पत्नि श्री गोगाराम जाट, निवासी किशनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री कालुराम पिता श्री गणपतलाल मीणा, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री विनोद पिता श्री गणपतलाल मीणा, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री संतोष पिता श्री गणपतलाल मीणा, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती सुशीला पिता श्री गणपतलाल मीणा, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती प्रेमबाई पिता श्री गणपतलाल मीणा, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्रीमती ललिता पिता श्री गणपतलाल मीणा, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

7. श्रीमती संगीता पिता श्री गणपतलाल मीणा, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

8. श्रीमती ममता पिता श्री गणपतलाल मीणा, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

9. श्रीमती सीताबाई पत्नि श्री गणपतलाल मीणा, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

10. श्री मोतीलाल पिता श्री राधाकिशन मीणा, निवासी भण्डारिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

11. भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री पी.सी.पालीवाल – वकील अपीलान्ट

प्रकरण संख्या–02ए/2016, श्री रामचन्द्र व अन्य बनाम श्री कालुराम मीणा व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 27.05.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या–02ए/2016, श्री रामचन्द्र व अन्य बनाम श्री कालुराम मीणा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

- रेस्पोडेंट संख्या–1 से 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थीण के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2845 दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–75 भू.राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की। उक्त अपील में रेस्पोडेंट संख्या–1 से 9 द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मोतीलाल पिता राधाकिशन का 1/2 हिस्सा व कालुराम, विनोद, संतोष, सुशीला, प्रेम, ललिता, संगीता, ममता पिता गणपत, सीताबाई पत्नि गणपत का 1/2 हिस्सा जो कि खाता संख्या 471 में अंकित आराजी संख्या 1828, 1836, 1837, 1838, 1839 किता रकबा 2.60 हैक्टेयर होकर खातेदारी दर्ज रही। उक्त भूमि पर राजस्व अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट संख्या–1 से 9 को बिना सुचित किए, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं स्थगत उपरान्त भी उक्त

नामान्तरकरण संख्या 2845 अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत कर दिया जो निरस्त किया जावें।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या–02ए/2016 दर्ज कर वर्तमान प्रकरण के रेस्पोडेंट संख्या–1 से 9 की एकतरफा बहस सुनकर निर्णय दिनांक 29.06.2016 पारित कर उनके द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 2845 दिनांक 15.07.15 को निरस्त किया और विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड की पूर्व स्थिति यथावत बनाये रखने का आदेश दिया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तोड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अन्य पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस दिनांक 06.05.2019 को सुनी गई। प्रत्यर्थीगण को निर्णय से पूर्ण लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लिखित बहस अप्राप्त।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के वाद में डिक्री व आदेश पारित निर्देशानुसार नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश होने से नामान्तरकरण खोला गया था उसके विरूद्ध की गयी अपील में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना पेशी बदलने के बाद नहीं दी गई अर्थात दिनांक 09.05.2016 को ''पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से दिनांक 18.07.2016 को पेश हो'' से दिनांक 18.07.2016 को पेश हुई, रेस्पोडेंट के बाद तामिल हुए, बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही की गई। वास्ते बहस दिनांक 02.08.2016 को पत्रावली रखी गयी और इस प्रकार एक सोची समझी गई प्रक्रिया के तहत पत्रावली के तामिल मानकर अपील में एकतरफा निर्णय कर दिया गया है। बिना पूर्ण सम्मन की तामील के उक्त पत्रावली को जल्दबाजी में फोरी कार्यवाही कर प्राकृतिक न्याय का हनन हुआ है। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय एवं डिक्री से प्रदान निर्देशों से स्वीकृत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य स्थगन आदेश अथवा निर्णय डिक्री में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया हो अथवा स्थगन आदेश प्रदान किया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वास्तविक तथ्यों के न्यायालय में प्रस्तुत हुए बिना रेस्पोडेंट की अवधि विधान की प्रार्थना बेबुनियादी आधार पर होते हुए, अपील को बिना अवधि में प्रस्तुत हुए स्वीकार करने में भारी भूल की है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनगर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 26.09.2016 को अपास्त फरमाया जावें।

उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, बहस एवं अपील का गहनता से अध्ययन एवं तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार एवं विश्लेषण किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पूर्ण सम्मन की तामील के के एकतरफा बहस सुनकर निर्णय पारित किया जो न्याय का हनन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि पत्रावली पर प्रकरण से सम्बन्धित पक्षकारों की तामिल उपलब्ध नहीं जिससे अपीलार्थी के इस कथन की पुष्टि होती है एवं यह विधिक प्रक्रिया के विपरित होकर अनुचित है। अपीलार्थी ने यह कथन किया कि तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय एवं डिक्री से प्रदान निर्देशों से स्वीकृत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा वाद संख्या–209/18 में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2013 प्रस्तुत किया जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के वाद को स्वीकार कर आराजी संख्या 1828, 1836, 1837, 1838, 1839 किता रकबा 2.60 हैक्टेयर अपीलार्थीगण के खातेदारी घोषित की। रेस्पोडेंटगण द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 11.09.2013 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष अपील संख्या–145/2013/डिक्री पेश की जो निर्णय दिनांक 07.12.2015 से खारिज की गई। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय एवं डिक्री से प्रदान निर्देशों से स्वीकृत किया गया जो न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2015 के परिपेक्ष्य में विधि सम्मत पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2016 पूर्णतया विधि स्वरूप न होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 26.09.2016 Bad in law होकर अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2845 दिनांक 15.07.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official